

तारीख व
हुवम

प्रसं० २१७/११
हुवम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

सुरेश चव्हा / सारदार

12/5/25

परावली आफ कोर्ट केस हीवरमा में
प्रस्तुत हुआ। बजना कमी-पूर्व के लिए
मह वर प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 LRA
में केवल लिपिनीम अशुद्धिमा लही बी का
सकली है, बिनी बी प्रजाट के अर्थिकों का
सृजन नहीं किया जा सकता है, माननीम
उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015
पार 10 तथा माननीम उच्च न्यायालय राजस्थान
के निर्णय RRT 2022(2) पार 1864 में भी
मही लिखित प्रमाणित किया है LRA Act
की धारा 136 में बिनी बी प्रजाट के
अर्थिकों का सृजन नहीं किया जा सकता है
इतिहास दृष्टगत धरना पर खासिक किया
जाता है और धरनी के फलत ही जारी
है कि वह निर्णय वर में जारी। सुविधा
की दृष्टि से धरनी निर्णय वर में रफ
परावली को नवी कवा लैडगा।

निर्णय करे इफलाफ परकर सुनामा
गया। परावली केपर सुमाट धेरत नमबर
के का है।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी अन्ता

जिला वारा (राज०)